Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding construction of more hostels for tribal students in Maharashtra

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Madam, I would like to speak in Marathi.

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए पहले सूचना देनी चाहिए।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Madam, I had requested for it.

माननीय अध्यक्ष : हिना गावीत जी, आप बोल सकती हैं लेकिन जब भी आपको बोलना हो, पहले सूचना देनी चाहिए।

*DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Most of the tribal students from all parts of Maharashtra are taking good education and for this purpose, they are moving to the cities from the tribal areas. Central Government and State Governments had sanctioned some hostels for them. But these hostels did not have their own buildings and that is why they were running from rented premises. Now, the Government is planning to shut down these hostels and if so these students would be facing severe problems. Hence, through you Madam, I would like to urge upon the Central Government especially the Department of Tribal Affairs to construct hostels for the tribal students to encourage them to take education. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुऐपेद्र सिंह चन्देल, श्री अरविंद सावंत,

श्री राहुल शेवाले, श्री संजय हरिभाऊ जाधव को डॉ. हिना विजयकुमार गावित द्वारा उठाए गए विऐय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदया, 26 सितम्बर, 2017 को गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय जो मेरे संसदीय क्षेत्र मुगावली में है, वहां के वरिऐठ प्राचार्य बी.एल.अहिरवार की तरफ से मुझे एक पत्र मिला कि वहां की विसंगतियों के लिए सांसद निधि एवं एक दौरा कार्यक्रम किया जाए। मैंने वहां के लिए फौरन सांसद निधि स्वीकृत कराई। बच्चों, महिलाओं और बेटियों के पढ़ने लिए टेबल, पीने के पानी की व्यवस्था कराई और एक कार्यक्रम में 10 अक्तूबर को मैंने शिरकत की।

जहां उस प्राचार्य का एक तरीके से प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और प्रशंसा करनी चाहिए, उल्टे वरिऐठ दलित प्राचार्य को मुगावली के विद्यालय से ट्रंसफर करके 700 किलोमीटर दूर शहडोल में भेज

दिया गया। मैं आपके संरक्षण के आधार पर पूछना चाहता हूं कि इस सदन में जो सांसद बैठा हुआ है वह किस नियम के तहत सांसद निधि किसी क्षेत्र में नहीं दे सकता और किस नियम के आधार पर उस दलित प्रोफेसर का ट्रंसफर किया जाता है। यह बीजेपी सरकार की दलित विरोधी नीति का एक और उदाहरण है।

HON. SPEAKER: It is not a matter to be raised here.

… (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, उस प्रोफेसर को बहाल किया जाना चाहिए और सरकार को उस प्रोफेसर से माफी मांगनी चाहिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Actually, this is not the case.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको सांसद निधि देने से नहीं रोका है इसलिए यह यहां नहीं आएगा।

...(व्यवधान)